संख्या-22/2018/2584/22-2-2017-17(270)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 09 जनवरी, 2018***

विषय:- जिला कारागार, सुलतानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शाहिद अशफाक पुत्र स्व0 अशफाक अहमद, निवासी जनपद-सुलतानपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35783/प्रोबे0-5-दयायाचिका/23 दिनांक 03.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सुलतानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शाहिद अशफाक पुत्र स्व0 अशफाक अहमद, जो मोहल्ला शाहगंज, थाना-कोतवाली नगर, जनपद-सुलतानपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 06.08.1980 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल व हांकी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-164/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर के आदेश दिनांक 21.08.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.07.2012 द्वारा बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.12.2016 तक 04 वर्ष 01 माह 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष 09 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी पर थाना-कोतवाली नगर में अ0सं0-1096/12 में धारा-143, 353, 504,506 विचाराधीन है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति तथा जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शाहिद अशफाक (बन्दी संख्या-184/2012) पुत्र स्व0 अशफाक अहमद, निवासी जनपद-सुलतानपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-22/2018/2584(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सुलतानपुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in